

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
922 / 2024

दायर दिनांक
19.12.2024

निर्णय दिनांक
19-12-2024

उनवान

1. उमा पत्नी वसन्त स्वर्णकार उम्र वयस्क निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा राजस्थान।
2. नारायण पुत्र जीवन कुमावत उम्र वयस्क निवासी सवाईपुर तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा राजस्थान।

— वादीगण

बनाम

1. सुखदेव पिता लादू कुमावत निवासी सवाईपुर तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
2. रामाजी पिता दल्ला कुमावत निवासी सवाईपुर तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
3. लादू पुत्र हणुता सुथार निवासी सवाईपुर तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा राजस्थान।
4. शंभू पुत्र भीमा जाट निवासी सवाईपुर तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा राजस्थान।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सवाईपुर / नायब तहसीलदार बडलियास जिला भीलवाडा राजस्थान।

— प्रतिवादीगण

उपरिथत:-अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मदन लाल

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 01 उपरिथत नहीं

— प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डेलाणा नई, पटवार हल्का- सवाईपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र-सवाईपुर, तहसील कोटडी हाल तहसील सवाईपुर जिला-भीलवाडा के वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 तक में दर्ज खाता संख्या नया 66 पुराना 36 में वर्णित आराजी संख्या 199 रकबा 0.7670 हेक्टर आराजी संख्या 200 रकबा 0.3565 हेक्टर कित्ता 02 रकबा 1.1235 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारों आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 4 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सवाईपुर/नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम डेलाणा नई, पटवार हल्का- सवाईपुर, भूअ.नि. क्षेत्र-सवाईपुर, तहसील कोटडी हाल तहसील सवाईपुर जिला-भीलवाडा के वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 तक में दर्ज खाता संख्या नया 66 पुराना 36 में वर्णित आराजी संख्या 199 रकबा 0.7670 हेक्टर आराजी संख्या 200 रकबा 0.3565 हेक्टर किता 02 रकबा 1.1235 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। भूमि कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिक्केन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बंदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर/नायब तहसीलदार बडलियास को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19-12-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह) (वत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा